प्रेस नोट

दिनांक 03.07.2025, थाना छपिया

जनपद गोण्डा।

थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत दुकान का दीवाल तोड़कर चोरी करने के शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 03 अदद मोबाइल फोन व 7650/- रूपये नगद बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 227/2025, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आया आरोपी अभियुक्त 01. प्रवेश उर्फ रामप्रवेश सिंह को परसा उदयकर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 03 अदद मोबाइल फोन व 7650/- रूपये नगद बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री हरीश कुमार वर्मा पुत्र श्री हृदयराम ग्राम मूड़ाडीहा पोस्ट परसातिवारी जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया पर सूचना दिये दिनांक 24.06.2025 की रात में अज्ञात चोरो द्वारा दुकान के नीचे का दिवाल तोड़कर अन्दर घुसकर मोबाइल फोन, फोन के एसेसरीज व अन्य कीमती समान चोरी कर ले गये । तहरीर के आधार पर थाना छपिया में मु0अ0स0- 227/2025, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.07.2025 को थाना छपिया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त 01. प्रवेश उर्फ रामप्रवेश सिंह को परसा उदयकर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 03 अदद मोबाइल फोन व 7650/- रूपये नगद बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. प्रवेश उर्फ रामप्रवेश सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी पूरे पैकोलिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 227/2025, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी का 03 अदद मोबाइल फोन।
02. 7650/- रूपये नगद बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा
02. हे0का0 महेन्द्र प्रसाद पासवान
03. का0 दिनेश यादव
04. का0 घनन्जय कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।